उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-18/2017/1351/तीस-4-2017-135/89
लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2017

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-55 के उपनियम (8) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2104/तीस-4-08-113/89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, राज्य परिवहन प्राधिकरण में निम्नलिखित प्रविष्टियॉ निकाल दी जायेंगी:-

अनुसूची

राज्य परिवहन प्राधिकरणों के सदस्य
1. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री श्याम बिहारी यादव, मोहल्ला- संघमोहाल (कोतवाली कटरा के बगल) जिला मिर्जापुर।
2. श्री हाजी मो0 अनवर खान पुत्र स्व0 श्री ए0जे0 खान, निवासी-पठान हाउस, नाजिरपुरा, जिला-बहराइच।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-18/2017/1351(1)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 21 जुलाई, 2017 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-18/2017/1351(2)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी।
7- सम्बन्धित सदस्यगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18/2017/1351/XXX-4-2017-135/89 dated, July 21, 2017.

Notification

No.18 /2017/1351 / xxx-4-2017-135/89
Lucknow: Dated, July 21, 2017

In exercise of the powers under sub-section (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 2104/XXX-4-08-113/89 dated January 29, 2009 as amended to time to time.

Amendment

In the aforesaid notification, in the State Transport Authority the following entries shall be omitted:-

SCHEDULE

Members of State Transport Authorities
1. Sri Yogendra Singh S/O Late Sri Shayam Bihari Yadav, Mohalla- Sanghmohal (Near Kotwali Katra) District- Mirzapur.
2. Sri Hajji Moh. Anwar Khan S/O Late Sri A.J. Khan R/O Pathan House, Nazirpura, District- Behraich.

By Order,

Aradhana Shukla
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।